

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)() (ब.घो.)डीएलबी/23/ 931

दिनांक. 19/04/2023

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत बाप (जिला जोधपुर) को सम्मिलित करते हुए एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	जोधपुर	बाप	ग्राम पंचायत बाप के सम्पूर्ण क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम बाप के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (बाप जेतडासर, अणदासर, बोरानाडा, हाफजनगर (जनसंख्या - 10,393) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2022-23 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रायपुर के सम्पूर्ण राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (जनसंख्या - 10,393) जनगणना 2011 के अनुसार के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । विभागीय अधिसूचना 2025 दि1/6/21 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाप के निर्वाचित सरपंच/उप सरपंच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)() (ब.घो.)डीएलबी/23/ 932 - 957 दिनांक : 19/04/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
07. सचिव/ आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक् किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर/निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त जोधपुर /जिला कलक्टर जोधपुर (राजस्थान) ।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।/पी.आर.ओ. निदेशालय ।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. वित्तीय सलाहकार /समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
14. नोडल अधिकारी, वेबसाइट, निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. सरपंच /उपसरपंच/सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत बाप (जोधपुर) (राज.)।
16. सुरक्षित पत्रावली।

५ पंचायत सदस्य

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी